भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/ 76 **आर बी ई सं. 28/2009**

सं. पी सी-VI/2008/I/आरएसआरपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 11.02.2009**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण एवं वेतनवृद्धियां प्रदान करना - संबंधी स्पष्टीकरण।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना के पश्चात्, इस मंत्रालय में कुछ रेलों/उत्पादन इकाइयों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें संशोधित ढांचे में वेतन के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं और संशोधित वेतन ढांचे के अंतर्गत वेतन निर्धारण और भविष्य में वेतनवृद्धियों को प्रदान करने के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जांच की गई है। संदेह के मुद्दे और उन पर स्पष्टीकरण नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	संदेह का मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के उपबंधों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति से बाह्य संवर्ग पद या तदर्थ आधार पर अथवा सीधी भर्ती आधार पर नियुक्त से इतर) द्वारा पदोन्नति के एक महीने के भीतर स्प्लिट विकल्प प्रस्तुत करना होता है। कुछ कर्मचारी, जिनकी 01.01.2006 से पहले और 01.01.2006 के बाद लेकिन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 की अधिसूचना से पहले पदोन्नति हुई है, ने अपनी अगली वेतनवृद्धि जो उस समय लागू नियमों/वेतन ढांचे के अनुसार 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों में 01.01.2006 के बाद पड़ रही थी, की तारीख से पदोन्नति पर अपने वेतन के निर्धारण का विकल्प दिया था। 01.01.2006 से प्रभावी सितंबर 2008 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनेक कर्मचारियों द्वारा दिया गया विकल्प अब अलाभप्रद साबित हुआ है, क्या इन कर्मचारियों को	रेलवे बोर्ड के 16.10.2003 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-2003/पीपी-1 में व्यवस्था है कि कोई रेल सेवक ऐसे अप्रत्याशित विकासों के आदेशों या नियमों के बदलाव की तारीख से एक महीने के भीतर भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु एक संशोधित विकल्प दे सकता है। ऐसे किसी भी मामले में, जो रेल सेवा (संशोधित वेतन) 2008 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप हुआ है, रेल सेवकों को **इन स्पष्टीकरणों के जारी होने की तारीख से एक महीने** के भीतर पदोन्नत पद में अपने वेतन के निर्धारण के लिए संशोधित विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

---/-